न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाडा द्वारा आयोजित दीवानी फौजदारी राजस्व प्रकरणों की राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.06.2016 के अन्तर्गत केम्प कोर्ट– आरजिया
पीठासीन अधिकारी उम्मेदसिंह राजावत, आर.ए.एस.

करण संख्या 60 /2016

श्रीमति सरोज पत्नि गोपीकृष्ण मिश्रा निवासी महेश कॉलोनी, तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमति कंचनदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण हेडा निवासी ए–135 संजय कॉलोनी भीलवाडा।
2. श्री पवन पिता रामप्रकाश असावा निवासी ए–316 विजयसिंह पथिकनगर भीलवाडा।
3. श्री अनिल चौधरी पिता सत्यनारायण चौधरी निवासी ए–97 सुभाष नगर भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 08.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत दिनांक 08.6.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आरजिया प0म0 आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 1804/2 रकबा 03–03–10 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होंने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसे पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम आरजिया प0म0 आरजिया मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 1804/2 रकबा 03–03–10 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 400/–रू0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 08.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner